लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 2585
उत्तर देने की तारीखः 09.07.2019

वृद्धाश्रमों और नशा-मुक्ति योजना हेतु प्रस्ताव

2585. श्री शंकर लालवानीः

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2017-18 के दौरान वृद्धाश्रमों और नशा-मुक्ति योजनाओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य से कितने प्रस्ताव प्राप्त किए गए;
(ख) उपरोक्त प्रस्तावों में से अब तक अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या और ब्यौरा क्या है; और
(ग) लंबित प्रस्तावों पर कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख): 2017-18 के दौरान, एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक गृहों (वृद्धाश्रमों) के लिए मध्य प्रदेश राज्य से 13 संचालित किए जा रहे परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनमें से 12 प्रस्तावों के लिए सहायता अनुदान जारी कर दिया गया है और दस्तावेजों की कमी के कारण एक मामले में सहायता अनुदान जारी नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक गृहों के लिए 20 नए परियोजना प्रस्तावों की भी सिफारिश की गई थी जिनमें से 3 प्रस्ताव अनुमोदित कर दिए गए हैं और शेष 17 प्रस्तावों को दस्तावेजों में कमी के कारण अनुमोदित नहीं किया जा सका।

इसी प्रकार, मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग निवारण की योजना के अंतर्गत, मध्य प्रदेश राज्य से वर्ष 2017-18 के दौरान 19 संचालित किए जा रहे परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनमें से 18 मामलों में सहायता अनुदान जारी किया गया है और हाल ही में एक मामले में दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त, इस योजना के अंतर्गत 2017-18 के दौरान 15 नए परियोजना प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं जिनमें से 5 प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया है और शेष 10 प्रस्ताव दस्तावेजों में कमी के कारण अनुमोदित नहीं किए जा सके।

(ग): निधियों को जारी करना एक सतत प्रक्रिया है और सहायता अनुदान जारी करने संबंधी प्रस्तावों पर कार्रवाई संगत योजनाओं के मानदंडों और दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा उन प्रस्तावों के प्रत्येक दृष्टि से पूरा होने और निधियों की उपलब्धता के आधार पर की जाती है।

*****